माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अभियुक्त साहिल कुमार को **दिनांक 11.02.2025** को महाराष्ट्र के मुम्बई जिले के थाना क्षेत्र ओशिवरा से स्थानीय पुलिस की मदद से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। पकड़े गये अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

02-अपराध का उद्देश्यः-

अभियुक्तों द्वारा अपने सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर "**माउंटेन अलायंस प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी**" खोलकर जनता के भोले-भाले लोगों को लुभावने व आकर्षक आफर देकर लाखों रुपयों का निवेश कराकर लाखों रुपये लेकर कम्पनी बन्द कर फरार हो गये। अभियुक्तों द्वारा पैसों का लालच व निजी शौक पूरा करने के उद्देश्य से जनता के लाखों रुपयों का गबन कर लिया गया।

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—

1. साहिल कुमार पुत्र विश्वनाथ प्रसाद निषाद निवासी ग्राम ऐंठपुर थाना पलिया कला जनपद खीरी उम्र करीब-24 वर्ष (**डायरेक्टर माउंटेन अलायंस प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी**)

04- अभियुक्त का आपराधिक इतिहास—

1. मु.अ.सं. 0371/2021 धारा 409/420/120-बी भादवि, थाना विभूतिखण्ड लखनऊ
2. मु.अ.सं. 0002/2022 धारा 409/420/ भादवि, थाना विभूतिखण्ड लखनऊ
3. मु.अ.सं. 0093/2022 धारा 409/420/120-बी भादवि, थाना विभूतिखण्ड लखनऊ

नोटः- अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी अन्य जनपद/इकाई/थाने से की जा रही है।

05 अनावरित/पंजीकृत अभियोगों का विवरणः

4. मु.अ.सं. 0371/2021 धारा 409/420/120-बी भादवि, थाना विभूतिखण्ड लखनऊ
5. मु.अ.सं. 0002/2022 धारा 409/420/ भादवि, थाना विभूतिखण्ड लखनऊ
6. मु.अ.सं. 0093/2022 धारा 409/420/120-बी भादवि, थाना विभूतिखण्ड लखनऊ

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम थाना विभूतिखण्ड-

1. उ.नि. श्री राजेश कुमार यादव
2. उ.नि. श्री इरशाद अहमद
3. उ.नि. युटी श्री अमरीश धामॉ
4. हे.कां. सुमित कुमार

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-425
दिनांक-14.02.2025

जोन- पूर्वी/ थाना- विभूतिखण्ड

- **भोले-भाले लोगों से "मछली पालन" के नाम पर लाखों रुपयों का निवेश कराकर प्रतिमाह 75,000/- रुपये का लाभ देने का झूठा आश्वासन देकर लाखों रुपयों का गबन करने वाली कम्पनी "माउंटेन अलायंस प्राइवेट लिमिटेड" के डायरेक्टर/शातिर वांछित अभियुक्त थाना विभूतिखण्ड पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया।**
- **अभियुक्त द्वारा अपने सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर भोले-भाले लोगों से "मछली पालन" के नाम लाखों का गबन किया गया था।**
- **घटना में संलिप्त 02 नफर अभियुक्त को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है।**

01-सक्षिप्त विवरणः-

थाना विभूतिखण्ड पर विभिन्न तिथियों को पीड़ितों द्वारा **"माउंटेन अलायंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी"** के डायरेक्टरों व एजेन्टों द्वारा मछली पालन के नाम पर आकर्षक लुभावने आफर, फर्जी प्लान में निवेश कराकर लाखों रुपयों की ठगी करने एवं निवेश व प्राफिट की राशि को हड़पने, दिए गये चेक बाउंस होने सम्बन्धी आरोप अंकित करते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये।

जिसके क्रम में थाना स्थानीय पर दिनांक 26.07.2021 को **श्री आदित्य कुमार त्रिपाठी** के प्रार्थना पत्र पर मु.अ.सं. 0371/2021 धारा 409/420 भादवि बनाम माउंटेन अलायंस प्राइवेट लिमिटेड के चीफ डायरेक्टर विश्वनाथ प्रसाद निषाद व अन्य,

दिनांक 02.01.2022 को **श्री जिनेन्द्र प्रकाश जैन** के प्रार्थना पत्र पर मु.अ.सं. 0002/2022 धारा 409/420 भादवि बनाम माउंटेन अलायंस प्राइवेट लिमिटेड के चीफ डायरेक्टर विश्वनाथ प्रसाद निषाद व अन्य,

दिनांक 26.02.2022 को **श्री सौदान सिंह** के प्रार्थना पत्र पर मु.अ.सं. 0093/2022 धारा 409/420 भादवि बनाम माउंटेन अलायंस प्राइवेट लिमिटेड के चीफ डायरेक्टर विश्वनाथ प्रसाद निषाद व अन्य के पंजीकृत कराया गया।

उक्त घटना के अनावरण हेतु तत्काल टीमों का गठन किया गया था, गठित टीम द्वारा टेक्निकल व मैनुअल साक्ष्यों से यह तथ्य प्रकाश में आया कि **"माउंटेन अलायंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी"** द्वारा जनता के भोले-भाले लोगों से **"मछली पालन"** के नाम पर लाखों रुपये निवेश कराये गये तथा प्रत्येक माह 75000/- रुपये देने का झूठा आश्वासन दिया गया।

जब लोग अपना लाभ लेने पहुंचे तो पता चला कि उक्त कम्पनी फरार हो गयी है। जिसके पश्चात थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त अभियोग दर्ज कराये गये।

विवेचना के क्रम घटना में संलिप्त कम्पनी के चीफ डायरेक्टर **विश्वनाथ प्रसाद निषाद व डायरेक्टर तारा सिंह को गिरफ्तार कर जेल** न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड में भेजा जा चुका है। विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्य से 120-बी भादवि का बढ़ोत्तरी की गयी है। अन्य वांछित अभियुक्त साहिल कुमार अपनी गिरफ्तारी के भय से लगातार फरार चल रहा था, जिसके विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा NBW जारी किया गया था।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-

दिनांक 14.02.2025

लखनऊ पुलिस ने वेलेंटाइन्स डे के अवसर पर शहर में सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने के लिए विशेष अभियान चलाया।

लखनऊ के सभी जोन में पुलिस उपायुक्त के नेतृत्व में सार्वजनिक स्थानों, पार्कों, मॉलों और अन्य भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाया गया। वेलेंटाइन्स डे के अवसर पर, सार्वजनिक सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए।

प्रमुख गतिविधियाँ:

- पेट्रोलिंग: शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई थी। विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महिला पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया था।
- यातायात व्यवस्था: वेलेंटाइन्स डे के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था।
- असामाजिक तत्वों पर नजर: असामाजिक तत्वों और हुड़दंगियों पर विशेष नजर रखी गई।
- जागरूकता अभियान: वेलेंटाइन्स डे के दौरान युवाओं को सुरक्षित रहने और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचने के लिए जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाये गये।
- **परिणाम:**

ZONE	पंजीकृत अभियोग	कितने व्यक्तियों को हिदायत देकर छोड़ा गया	चेक किये गये व्यक्तियों की संख्या
CENTRAL	1	190	443
EAST	0	58	155
WEST	3	50	270
NORTH	0	163	372
SOUTH	0	36	103
TOTAL	**4**	**497**	**1343**

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-423
दिनांक-14-02-2025

जोन- पश्चिमी/थाना- ठाकुरगंज

- **सोशल मीडिया/ट्विटर हैण्डल पर नाबालिग पीड़िता की ख्याति, निजता एवं पहचान का प्रकटीकरण करने वाले तथाकथित पत्रकार के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।**

संक्षिप्त विवरण-

थाना स्थानीय पर दर्ज मु0अ0सं0- 71/25 धारा- 75(2)/115(2)/352 बीएनएस की वादिनी/पीडिता (नाबालिग) के नाम, पता व फोटो को सोशल मीडिया/ट्विटर हैण्डल पर शीर्षक "लखनऊ राजधानी में कक्षा 06 की नाबालिक छात्रा के साथ हैवानियत का प्रयास", अंकित करते हुए नाबालिग पीडिता की ख्याति, निजता एवं पहचान का प्रकटीकरण करने वाले तथाकथित पत्रकार जनाब खान पुत्र अब्दुल नवी नि0- 17/10, हंसखेडा, एल-बस्ती-01, थाना पारा लखनऊ के विरूद्ध मु0अ0सं0- 81/2025 अंतर्गत धारा- 72/73 बीएनएस व 23(4) पोक्सो एक्ट व धारा- 74(3) किशोर न्याय अधि0 थाना ठाकुरगंज लखनऊ पंजीकृत किया गया।

उक्त तथाकथित पत्रकार के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता अभियुक्त –

01. जनाब खान पुत्र अब्दुल नवी नि0- 17/10, हंसखेडा, एल-बस्ती-01, थाना पारा लखनऊ

पंजीकृत अभियोग-

01-मु0अ0सं0- 81/2025 अंतर्गत धारा- 72/73 बीएनएस व 23(4) पोक्सो एक्ट व धारा- 74(3) किशोर न्याय अधि0 थाना ठाकुरगंज लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-420
दिनांक-14-02-2025

जोन- पश्चिमी/थाना- ठाकुरगंज

- **जान से मारने की नियत से फायरिंग करने वाले 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **दिनांक 13.02.2025 को गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर हुआ था विवाद।**
- **ठाकुरगंज क्षेत्रान्तर्गत सीएमएस स्कूल के पास सराय माली खाँ चौराहे की घटना।**
- **कब्जे से 01 अदद अवैध पिस्टल(.32 बोर) मय एक अदद जिन्दा व 02 अदद खोखा कारतूस बरामद।**
- **थाना ठाकुरगंज पुलिस की कार्यवाही।**

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 14.02.2025 को वादी श्री सलमान पुत्र नफीस खान नि0-कैम्पवेल रोड, बालागंज थाना ठाकुरगंज लखनऊ द्वारा सूचना दी गयी कि सीएमएस स्कूल के पास, सराय माली खाँ चौराहे थाना क्षेत्र ठाकुरगंज लखनऊ के पास अभियुक्तगण मोनिस व युसूफ नें उनके द्वारा गाडी को ओवरटेक करने के मामूली विवाद पर आग-बबूला होते हुए गाली-गलौज की व जान से मारने की नियत से हवाई फायरिंग की, जिसके आधार पर तत्काल थाना ठाकुरगंज पर मु0अ0सं0-0078/2025 धारा 109(1)/131/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

इस सूचना का संज्ञान लेते हुए ठाकुरगंज पुलिस नें तत्काल प्रभाव से कार्यवाही करते हुए अभियुक्त सैय्यद मोनिस पुत्र सैय्यद मोहसिन उम्र लगभग 19 वर्ष निवासी 465/4 हाता सितारा बेगम थाना ठाकुरगंज लखनऊ को लालजी टंडन ढाल के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से एक अदद अवैध पिस्टल .32 बोर व एक अदद जिन्दा 02 अदद खोखा कारतूस बरामद हुआ। बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में 9/25/27 आयुध अधिनियम 1955 की बढोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता अभियुक्तगण –

01.सैय्यद मोनिस पुत्र सैय्यद मोहसिन उम्र लगभग 19 वर्ष निवासी 465/4 हाता सितारा बेगम थाना ठाकुरगंज लखनऊ

पंजीकृत/अनावरित अभियोग-

01-मु0अ0सं0-0078/2025 धारा 109(1)/131/352 बीएनएस व धारा- 9/25/27 आयुध अधिनियम थाना ठाकुरगंज लखनऊ

बरामदगी का विवरण-

एक अदद अवैध पिस्टल .32 बोर व एक अदद जिन्दा व 02 अदद खोखा कारतूस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

01-उ0नि0 श्री हेमू पटेल थाना ठाकुरगंज लखनऊ

02-उ0नि0 श्री रितेश कुमार राय थाना ठाकुरगंज लखनऊ

03-का0 अंकज यादव थाना ठाकुरगंज लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-422
दिनांक-14.02.2025

जोन-दक्षिणी/ थाना-मोहनलालगंज

- **करीब 01 वर्ष से गुमशुदा नाबालिग किशोरी को किया गया सकुशल बरामद।**
- **उच्चाधिकारीगण के निर्देश के क्रम में चौपाल के दौरान गुमशुदा की मां की समस्या सुन एसीपी मोहनलालगंज ने लिया त्वरित संज्ञान।**
- **नाबालिग की शीघ्र बरामदगी के लिए 03 पुलिस टीमों का किया गया गठन।**
- **सर्विलांस टीम, डीसीपी दक्षिणी व मोहनलालगंज पुलिस की सयुंक्त टीम की सफलता।**

01-सक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04/03/2024 को वादिनी नि0 टिकरियन खेड़ा थाना मोहनलालगंज लखनऊ द्वारा सूचना दिया गया था कि उसकी लड़की उम्र 13 वर्ष को इन्द्रपाल उर्फ मिठ्ठू मौर्या पुत्र स्व0 काशी प्रसाद मौर्या निवासी कनकहा थाना मोहनलालगंज जनपद लखनऊ को बहला फुसलाकर भगा ले गया है।

जिसके सम्बन्ध में थाना मोहनलालगंज लखनऊ में मु0अ0सं0 81/24 धारा 363/366 भादवि पंजीकृत किया गया था। पीड़िता की बरामदगी का प्रयास किया जा रहा था तभी कनकहा थाना मोहनलालगंज क्षेत्र में चौपाल के दौरान मुकदमा उपरोक्त की वादिनी द्वारा श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त, मोहनलालगंज महोदय व श्रीमान प्रभारी निरीक्षक, मोहनलालगंज महोदय से अपनी गुमशुदा पुत्री से सम्बन्धित समस्या बतायी थी।

जिसके क्रम में पीड़िता की सकुशल बरामदगी हेतु थाना मोहनलालगंज पुलिस व सर्विलान्स सेल, पुलिस उपायुक्त दक्षिणी सहित 3 पुलिस टीमों को लगाया गया था। जिसके पश्चात पीड़िता की गुजरात में रहने की जानकारी प्राप्त हुई। जिसके आधार पर पीड़िता की तलाश व जानकारी इकट्ठा करते हुए आज दिनांक 14/02/2025 को पीड़िता को सकुशल बरामद किया गया। अभियुक्त को पुलिस हिरासत में लेकर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पीड़िता की सकुशल बरामदगी के पश्चात पीड़िता के परिजनों द्वारा थाना मोहनलालगंज में उपस्थित होकर पुलिस की प्रशंसा की गयी तथा मिठाई खिलाकर पुलिस का धन्यवाद किया गया।

गुमशुदा बरामद करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री दुर्गेश सिंह थाना मोहनलालगंज
2. उ0नि0 श्री चन्द्रबहादुर यादव थाना मोहनलालगंज
3. उ0नि0 श्री अंकित सर्विलान्स प्रभारी डीसीपी साउथ ऑफिस
4. म0उ0नि0 आकांक्षा थाना मोहनलालगंज
5. का0 रवीन्द्र सर्विलान्स सेल डीसीपी साउथ ऑफिस
6. का0 अजय थाना मोहनलालगंज
7. म0का0 प्रियंका यादव थाना मोहनलालगंज

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं-421
दिनांक-14.02.2025

जोन-मध्य/ थाना-महानगर

- **राइजिंग सन रेजिडेन्सी अपार्टमेन्ट से चोरी प्रयास कर रहे 01 चोर को गार्ड व जनता की मदद से किया गया गिरफ्तार।**
- **घटना में प्रयुक्त 01 अदद चोरी की मोटरसाइकिल बरामद।**
- **थाना महानगर पुलिस की कार्यवाही।**

01-संक्षिप्त विवरण

दिनांक 13.02.25 को रात्रि 22.45 बजे अभियुक्त जनगदीश सिंह उपरोक्त राइजिंग सन रेजिडेन्सी अपार्टमेन्ट न्यू हैदराबाद में स्पलेन्डर मोटर साइकिल के साथ अन्दर घुसकर चोरी करने का प्रयास करने लगा जिसको वहां पर मौजूद गार्ड अजय कुमार व अन्य लोगो ने पकड लिया तथा पूछताछ करने पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया स्पलेन्डर मोटर साइकिल के सम्बन्ध में जानकारी की गयी तो भी कोई स्पष्ट बात नहीं बतायी तभी एक व्यक्ति वैभव त्रिपाठी अपनी मोटर साईकिल को खोजते हुए मौके पर आये और बताया कि यह मेरी मोटर साइकिल है जो की यहीं पास से चोरी हो गयी है जिसकी सूचना थाना महानगर को दी गयी है।

जिसके पश्चात थाना महानगर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त जगदीश सिंह उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त के कब्जे से मोटर साइकिल बरामद की गयी। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना महानगर पर मु0अ0सं0 32/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

02-अपराध का तरीका-

अभियुक्त जगदीश सिंह द्वारा न्यू हैदराबाद क्षेत्र में शुक्ला आटा चक्की से एक मोटर साइकिल UP32BU9300 स्पलेन्डर चोरी की गयी जिसके पश्चात अभियुक्त चोरी की मोटर साइकिल से राइजिंग सन रेजिडेन्सी अपार्टमेन्ट न्यू हैदराबाद महानगर के अन्दर गया वहां भी चोरी करने का प्रयास किया जिस पर वहां मौजूद गार्ड अजय व अन्य लोगो ने अभियुक्त को पकड लिया ।

03-नाम पता अभियुक्त

1. जगदीश सिंह पुत्र शिवबहादुर सिंह निवासी ग्राम पनुआ थाना बघौली जनपद हरदोई उम्र 45 वर्ष

04-पंजीकृत अभियोग

01-मु0अ0सं0 32/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना महानगर जनपद लखनऊ

05-बरामदगीः-

1. एक अदद मोटर साइकिल न0 UP32BU9300 स्पलेन्डर

06-आपराधिक इतिहास

01-मु0अ0सं0 02/2018 धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम थाना बघौली जनपद हरदोई

02-मु0अ0सं0 403/23 धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम थाना बघौली जनपद हरदई

07-गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक-

राइजिंग सन रेजिडेन्सी अपार्टमेन्ट न्यू हैदराबाद दि0 13.02.25

08-गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 सौरभ पाण्डेय थाना महानगर लखनऊ
2. उ0नि0 आर्यन शर्मा थाना महानगर लखनऊ
3. उ0नि0 सुधीर कुमार थाना महानगर लखनऊ

02-गिरफ्तार अभियुक्तगणों का नाम पता-

01-रियाज़ आलम पुत्र शमशेर अंसारी, निवासी ग्राम पंचरूखी, पोस्ट करंजो, थाना मार्गोमुण्डा, जनपद देवघर, झारखण्ड उम्र-24 वर्ष, (शिक्षा- 10वीं फेल)

02-उल्फत अंसारी पुत्र नसीरूद्दीन अंसारी, निवासी ग्राम जोगीडीह, पोस्ट करंजो, थाना मार्गोमुण्डा, जनपद देवघर, झारखण्ड उम्र-32 वर्ष (शिक्षा- 10वीं फेल)

03-नियाज़ अन्सारी पुत्र रयाज अंसारी, निवासी ग्राम पालजोरी, पोस्ट करंजो, थाना मार्गोमुण्डा, जनपद देवघर, झारखण्ड उम्र 19 वर्ष, (शिक्षा-10वीं पास)

तीनों आरोपी कम पढ़े-लिखे (10वीं पास/फेल) होने के बावजूद साइबर अपराध में माहिर थे और तकनीकी ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे थे। पुलिस जांच में सामने आया कि इनके खिलाफ झारखंड समेत कई राज्यों में शिकायतें दर्ज हैं, और अन्य राज्यों की पुलिस से संपर्क कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

03-अनावरित अभियोग का विवरण-

01.मु0अ0सं0 21/2025 धारा 318/338/238/111(2) बीएनएस व 66डी आईटी एक्ट थाना वजीरगंज लखनऊ, उ0प्र0

04-आपराधिक इतिहास

01.मु0अ0सं0 71/2020, धारा 419/420/467/468/471/120(B)/34 आईपीसी व 66(B)/66(C)/66(D)/84(C) आईटी एक्ट, साईबर क्राइम थाना देवघर, झारखण्ड

अभियुक्तों के विरूद्ध विभिन्न राज्यों में शिकायत दर्ज हैं । जिनसे सम्पर्क कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही हैं ।

05-पुलिस की अपील: सावधान रहें, सतर्क रहें!

पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि अज्ञात नंबरों से आने वाले व्हॉट्सऐप मैसेज और APK फाइल/लिंक को बिना जांचे-परखे डाउनलोड न करें। किसी भी सरकारी योजना की जानकारी के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइटों पर ही भरोसा करें। अगर किसी को इस तरह की ठगी का शिकार होने का संदेह हो, तो तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 या नजदीकी पुलिस स्टेशन पर संपर्क करें।

06-बरामदगी का विवरण

पुलिस ने इनके पास से आईफोन 15 प्रो, सैमसंग S22 अल्ट्रा, वीवो और ओप्पो के कई स्मार्टफोन, सैकड़ों सिम कार्ड, ई-सिम और व्हाइट कलर की क्रेटा कार (JH01FQ 8888) बरामद की है।

07-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

प्र0नि0 संजीव कुमार, थाना वज़ीरगंज, उ0नि0 प्रशान्त वर्मा, प्रभारी साईबर क्राइम सेल हजरतगंज, मु0आ0 संतोष गौतम, साईबर क्राइम सेल, मु0आ0 अखिलेश पटेल, साईबर क्राइम सेल, आ0 जय प्रकाश यादव, साईबर क्राइम सेल, आ0 आशीष सिंह, साईबर क्राइम सेल, आ0 अविनाश वर्मा, साईबर क्राइम सेल, आ0 अमित तिवारी, साईबर क्राइम सेल शामिल रहे।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 0426
दिनांक-14.02.2025

साइबर थाना / थाना वजीरगंज

साइबर ठगों का नया जाल: APK फाइल से मोबाइल हैक कर बैंक अकाउंट से उड़ाते थे पैसे

- **व्हॉट्सऐप पर भेजते थे फर्जी APK फाइल, डाउनलोड करते ही फोन हो जाता था हैक**
- **पीड़ित के बैंक अकाउंट से आधार नंबर के जरिए UPI/नेट बैंकिंग एक्सेस कर उड़ाते थे पैसे**
- **हैक किए गए मोबाइल से ओटीपी फॉरवर्ड कर, बिना पासवर्ड के कर लेते थे बैंक लॉगिन**
- **ठगी के पैसे तुरंत फर्जी खातों में ट्रांसफर कर, नजदीकी ATM से निकालते थे कैश**
- **लखनऊ पुलिस ने देवघर, झारखंड से तीन शातिर ठगों को दबोचा, 11 स्मार्टफोन और क्रेटा कार बरामद**

01-संक्षिप्त विवरणः-

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की साइबर क्राइम सेल और थाना वजीरगंज पुलिस की संयुक्त टीम ने एक बड़े साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह के 03 शातिर अपराधियों को झारखंड के देवघर जिले के मार्गोमुंडा क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। ये ठग व्हॉट्सऐप के जरिए फर्जी APK फाइल/लिंक भेजकर लोगों के मोबाइल फोन हैक कर लेते थे और फिर उनके बैंक अकाउंट से लाखों रुपये निकाल लेते थे। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 11 स्मार्टफोन, कई सिम कार्ड, ई-सिम और एक सफेद रंग की क्रेटा कार बरामद की गई है।

- **कैसे देते थे वारदात को अंजाम?**

गिरोह के सदस्य साइबर ठगी को अंजाम देने के लिए बहुत ही सुनियोजित तरीके से काम करते थे। ये ठग प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम कुसुम योजना जैसी सरकारी योजनाओं के नाम पर व्हॉट्सऐप पर एक APK फाइल भेजते थे। जब कोई व्यक्ति इस फाइल को डाउनलोड करता, तो उसका फोन पूरी तरह हैक हो जाता था।

फोन हैक होने के बाद, पीड़ित के मोबाइल से आने वाले सभी मैसेज ठगों के मोबाइल नंबर पर फॉरवर्ड हो जाते थे। इसके जरिए वे पीड़ित के बैंक खाते की यूपीआई आईडी, नेट बैंकिंग डिटेल्स और ओटीपी तक पहुंच बना लेते थे।

इसके बाद, अपराधी पीड़ित का आधार कार्ड एम-आधार ऐप और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से डाउनलोड कर लेते थे। कुछ बैंकों (जैसे कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, उज्जीवन बैंक, फिनकेयर बैंक, बंधन बैंक और आईसीआईसीआई बैंक) में आधार नंबर के माध्यम से यूपीआई और नेट बैंकिंग लॉगिन संभव होता है। इस सुविधा का फायदा उठाकर ठग पीड़ित के बैंक अकाउंट में घुस जाते थे और वहां से पैसे अपने फर्जी खातों में ट्रांसफर कर लेते थे। ठगी के बाद, अपराधी तुरंत पास के एटीएम से पैसे निकाल लेते थे और रकम आपस में बांट लेते थे ताकि उन तक पहुंच पाना मुश्किल हो।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति सं0-0424

दिनांक–14.02.2025

मा0 न्यायालय, श्रीमान संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय)

- **लखनऊ के अन्तर्गत थाना- मड़ियाँव क्षेत्र के मनबढ़ एवं दबंग व्यक्ति को उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 के तहत लखनऊ की सीमा से निष्कासित (जिलाबदर) किये जाने का पारित किया गया आदेश-**

न्यायालय संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय), लखनऊ में लोक शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु संस्थित वाद संख्याः 184(121)/2024 से सम्बन्धित विपक्षी के विरुद्ध न्यायालय में उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 की धारा-3 के तहत सुनवाई के दौरान विपक्षी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी लखनऊ **श्री अवधेश कुमार सिंह** द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना गया तथा पत्रावली का परिशीलन किया गया। अभियोजन के तर्कों से संतुष्ट होकर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आज दिनांक 14.02.2025 को खुले न्यायालय में विपक्षी के आपराधिक कृत्यों पर अंकुश लगाये जाने के क्रम में विपक्षी जो घोषित गुण्डा है, को लखनऊ की सीमा से निष्कासित (जिलाबदर) किये जाने का आदेश पारित किया गया।

थाना	क्र0 सं0	वाद सं0	नामपता विपक्षीगण	आपराधिक इतिहास				जिलाबदर की अवधि
				क्र0 सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	
मड़ियाँव	1	184(121)/2024	उत्कर्ष तिवारी उर्फ लकी तिवारी उम्र करीब 25 वर्ष पुत्र अनिल तिवारी निवासी 537घ/45 श्रीनगर कालोनी, थाना मड़ियाँव, लखनऊ	1	250/2024	13 सार्वजनिक जुआ अधि0	मड़ियाँव	06 माह
				1	692/2023	147/323/504/354 भा0द0वि0	मड़ियाँव	
				2	439/2022	380/411 भा0द0वि0	मड़ियाँव	
				3	109/2015	147/148/149/307/506/302 भा0द0वि0	मड़ियाँव	
				4	168/2009	323/504/506 भा0द0वि0	मड़ियाँव	